**केन्द्रीय सूचना आयोग**
**दूसरा तल, बी विंग, अगस्त क्रान्ति भवन,**
**भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066**

**संचित संख्या: CICOM/R/2017/01184/CR-1** **दिनांक : 26.09.2017**

**सेवा में,**

**श्रीमती राजकुमारी**
**पत्नी रमेश तेजवानी पुत्री चन्द्रराम जी**
**हरिजन बस्ती गावं पलासनी थाना डागियावास**
**त. एव जि. जोधपुर राजस्थान - 342027**

**विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सुचना प्रदान करना.**

**महोदया ,**

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 12.09.2017, जिसके तहत आप सुचना अभिप्राप्त करना चाह ती है, केन्द्रीय रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 22.09.2017 को प्राप्त हुआ है । जिसका उत्तर निम्नानुसार है:-

वैसे to आप दवरा उठाये गये मुद्दे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) से बाहर है फिर भी आपको बताया जाता है कि आपके द्वारा दिए गये संदर्भ डायरी संख्या 151015/2017 पर इस कमीशन की कम्प्यूटरीकृत डाक मैनजमेंट दर्शाता है कि उपरोक्त डायरी न . 151015/2017 पर सुविधा ज्ञापन दिनांक 02.08.2017 स्पीड पोस्ट न: ED375716565IN दिनांक 04.08.2017 के द्वारा राज्य सूचना आयोग, राजस्थान को उचित कारवाही हेतु प्रेषित कार दिया गया है क्योकि कथित स्कूल इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में न आकर राजस्थान सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है । संदर्भ हेतु इस सुविधा ज्ञापन की एक प्रति जो कि सिस्टम से निकली गई है, संग्लन है ।

आप चाहें तो आगे की कारवाही जानने हेतु राजस्थान सूचना आयोग से सीधे सम्पर्क कर सकती है ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- **श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,केन्द्रिय सूचना आयोग** , अगस्त क्रान्ति भवन,भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066.

**संलगन:** उपरोक्त

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजियक -उप /
केन्द्रीय रजिस्टरी - 1

**प्रतिलिपि :**

1. **केंद्रीय जन सूचना अधिकारी,** केन्द्रीय सूचना आयोग ।

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजियक -उप /
केन्द्रीय रजिस्टरी - 1